न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 18/59

1. संजय आत्मज लोकेन्द्र जी ।
2. मनीषा पुत्री लोकेन्द्र जी ।
3. पिंकी पुत्री लोकेन्द्र जी ।
4. चेतना पुत्री लोकेन्द्र जी ।
5. श्यामलता बेवा लोकेन्द्र जी जाति ब्राह्मण निवासीगण विद्याकॉलोनी कोटा रोड बारां ।
6. म्मता बेवा विरेन्द्र जी ।
7. प्रीतुष आत्मज विरेन्द्र जी ।
8. रूद्र आत्मज विरेन्द्र जी जाति ब्राह्मण निवासीगण विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां ।
9. मिथलेश पुत्री बृजमोहन जी पत्नी कुंज बिहारी जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढयोटी तहसील कनवास जिला कोटा ।
10. हेमलता पुत्री बृजमोहन पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बटावदा तहसील अन्ता जिला बारां ।
11. गायत्री बाई पुत्री बृजमोहन पत्नी नवल किशोर जी जाति ब्राह्मण निवासी ऋषि नगर, बारां
12. जनक दुलारी बेवा बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दलाल आत्मज गेन्दी लाल जाति मीणा निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 09.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रेल तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 1353 रकबा 1.11 हैक्टर भूमि प्रार्थी नन्द

न के खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में कृषि उपयोग के लिए आने–जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि पर कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने में काफी परेशानी होती है ।

3. अतः प्रार्थी के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1353 रकबा 1.11 हैक्टर भूमि के लगवा काश्त करने हेतु आने–जाने के लिए रास्ते के लिए अप्रार्थी कम 1 के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 1.11 भूमि में से होकर उत्तर से दक्षिण रास्ता 04 मीटर चौडा पश्चिमी दिशा की तरफ सरकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रास्ता से प्रार्थी के खेत तक (एक लम्बी पट्टी के रूप में) कायम किया जावे तथा रिकॉर्ड की डीएलसी दर से राशि प्रार्थी से जमा करवाकर प्रार्थी को उक्त रास्ता कायम करवाये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत कैम्प रेलगॉव में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 20.06.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डीएलसी की दोगुना राशि अप्रार्थी कम 1 को भुगतान करने पर राजस्व रिकॉर्ड में नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पिता व दादा बृजमोहन जी की आराजी रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जिनका दिनांक 23.07.2017 को लम्बी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया जिनके प्रार्थीगण कायम मुकामान व वारिस होने से प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें अपील की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में जिस भूमि पर होकर रास्ता कायम किया है वह प्रार्थीगण अपीलान्ट के पिता व दादा के खातेदारी की भूमि है जिनका देहान्त हो चुका है । इसलिए उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 17.12.2017 को प्राप्त होने से उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. हमने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में जिस भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है वह अपीलान्ट के दादा एवं पिता के खातेदारी की भूमि है जिनका दिनांक 23.07.2017 को देहान्त हो चुका है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

ालान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मूल खातेदार अर्थात् अपीलान्टगण के पिता/दादा की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई । उक्त भूमि में होकर कभी रास्ता नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.06.2017 निरस्त फरमया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा कराने पर रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जब कि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवा चाहते हों परन्तु प्रस्तुत पकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 23.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा